आपराधिक विविध

समक्ष कुलवंत सिंह तिवाना, न्यायमूर्ति ।

राम काला ,वगैरह-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और-उत्तरदाता।

1975 की आपराधिक विविध संख्या 472 एम (ओ एंड एम)

8 जुलाई, 1976।

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का 5)-धारा 107,150 और 202-धारा 107 और 150 के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन-क्या जांच के लिए पुलिस को भेजा जा सकता है-पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की गई-क्या दूषित किया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 107 में "सूचित किया गया है" शब्द बहुत व्यापक हैं और इस धारा के तहत कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट की सूचना के स्रोत को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई करने वाली जानकारी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। यह मौखिक हो सकता है, शपथ हो सकती है, बिना शपथ लिए लिखित रूप में होने की आवश्यकता नहीं है। यह किसी भी आधिकारिक या अनौपचारिक औपचारिक या अनौपचारिक स्रोत से हो सकता है। यह मजिस्ट्रेट द्वारा अपने स्वयं के स्रोत, पुलिस, निजी व्यक्तियों से प्राप्त किया जा सकता है। संहिता की धारा 107 में निहित मजिस्ट्रेट की सूचना के इस स्रोत का संपूर्ण वर्णन करना कठिन है। उस सूचना की गुणवत्ता और चरित्र के बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिस पर मजिस्ट्रेट को कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब इस धारा में दी गई सूचना के स्रोत को सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है और उसे अधिकार क्षेत्र ग्रहण करके कार्य करना है, तो उसे सूचना प्राप्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए सूचना की शुद्धता की जांच करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट को इस मामले में व्यापक विवेकाधिकार के साथ मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए और? इस संबंध में उसकी संतुष्टि के साधनों को सीमित या सीमित करना वांछनीय नहीं है। चूंकि सार्वजनिक शांति या शांति बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले उसके लिए उपलब्ध प्रशासनिक तंत्र या अन्य स्रोतों का उपयोग करने में सक्षम है। इस प्रकार एक मजिस्ट्रेट जांच के लिए पुलिस को भेज सकता है और संहिता की धारा 107 और 150 के तहत प्राप्त आवेदन की रिपोर्ट कर सकता है और उस पर शुरू की गई कार्यवाही दूषित नहीं होती है।

(पैरा 5 और 6)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ पढ़ा गया है, यह प्रार्थना करती है कि 4 जनवरी, 1974 का आदेश, विद्वत उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, गुड़गांव द्वारा 30 अक्टूबर, 1973 के मामले संख्या 390/4 में, धारा 107/151, आई पी सी के तहत पारित किया जाए।

1975 की आपराधिक विविध संख्या 473।

धारा 482 सी. आर. पी. सी. के अधीन आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि इस माननीय न्यायालय में याचिका का विनिश्चय लंबित है और 10 मार्च, 1975 के लिए नियत उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, गुड़गांव की अदालत में धारा 107/151, आई. पी. सी. के अधीन ओम प्रकाश बनाम राम कला और अन्य मामले में सभी आगे की कार्यवाहियों पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता के. डी. सिंह।

एच. एन. मेहतानी, उप महाधिवक्ता, (हरियाणा) प्रत्यर्थियों की ओर से।

फैसला

तिवाना, न्यायमूर्ति:-

(1) इस पुनरीक्षण से जुड़े तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 107/150 के अधीन प्रत्यर्थी संख्या 2, ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत आवेदन, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, गुड़गांव द्वारा 3 अक्टूबर, 1973 को जांच और रिपोर्ट के लिए पुलिस को भेजा गया था। पुलिस ने गिटवार के ऊपर से गुजरने के अधिकार के बारे में उनके बीच विवाद के कारण पक्षों के बीच शांति भंग होने की आशंका के अस्तित्व के बारे में बताया। उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर विद्वत उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 4 जनवरी, 1974 के आदेशों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को तलब किया।

(2) याचिकाकर्ताओं ने दो आधारों पर याचिकाकर्ताओं को तलब करते हुए उप-मंडल मजिस्ट्रेट, गुड़गांव के आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की। पहला आधार यह था कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट को ओम प्रकाश का आवेदन भारतीय दंड संहिता की धारा 107/150 के तहत था और वह एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट होने के नाते भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता था। न्यायमूर्ति मेला राम शर्मा ने 7 फरवरी, 1975 को याचिका को स्वीकार करते हुए इस आपत्ति को लिपिकीय गलती बताते हुए निपटाया। अदालत के आदेशों के तहत गलती को ठीक किया गया माना गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया दूसरा आधार यह है कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट को धारा 107/150, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस को जांच और रिपोर्ट के लिए आवेदन भेजने की कोई शक्ति नहीं थी और इस कारण से पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही दूषित है।

(3) निर्णय के लिए बची हुई एकमात्र आपत्ति के समर्थन में अपने तर्क को विस्तार से बताते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री के. डी. सिंह ने नछत्तर सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय के

एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था-"निर्धारण के लिए प्रश्न यह है कि क्या धारा 202, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत स्थापित कार्यवाही पर लागू होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्यवाही को शिकायत के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, संहिता की धारा 202 लागू नहीं होती है, जिसके तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था। यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने की आवश्यकता है। नछत्तर सिंह के मामले का निर्णय करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए-हरि सिंह बनाम जगतर और अन्य में लाहौर उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया कि मजिस्ट्रेट के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के लिए आवेदन भेजने की कोई शक्ति नहीं है।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (जो मामले में लागू था) के अध्याय 16 के उपबंध, जिसमें धारा 202 है, दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) के अध्याय 8 को लागू नहीं होते हैं, जो "अपराधों की रोकथाम" से संबंधित संहिता के भाग 4 में दिए गए हैं। ये दोनों अध्याय एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और संहिता की धारा 202 में केवल शिकायतें शामिल हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थन में काफी अधिकार है कि संहिता की धारा 107 के तहत कार्यवाही संहिता की धारा 4 (1) (एच) में परिभाषित शिकायतें नहीं हैं।

(5) संहिता की धारा 107 जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को संहिता के अध्याय VIII के अधीन कार्यवाही करने की अधिकारिता प्रदान करती है, निम्नानुसार हैः-

"(1) जब भी किसी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति को भंग करने या कोई गलत कार्य करने की संभावना है जो संभवतः शांति भंग करने का कारण बन सकता है, या सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट, यदि उसकी राय में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, तो इसके बाद इस तरह से कारण दिखाने की आवश्यकता हो सकती है कि उसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियों के साथ या उसके बिना बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि मजिस्ट्रेट तय करना उचित समझता है।

(2) * *। * "। ..

इस प्रावधान के जिन शब्दों पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है, वे "सूचित" हैं। ये शब्द बहुत व्यापक हैं और इस धारा के तहत कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट की जानकारी के स्रोत को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई करने वाली जानकारी विभिन्न प्रकार की हो सकती है।यह मौखिक हो सकता है, शपथ हो सकती है, बिना शपथ के हो सकता है, लिखित रूप में होने की आवश्यकता नहीं है। यह किसी भी स्रोत से हो सकता है; आधिकारिक या अनौपचारिक, औपचारिक या अनौपचारिक। यह मजिस्ट्रेट द्वारा अपने स्वयं के स्रोत, पुलिस, निजी व्यक्तियों से प्राप्त किया जा सकता है। इस्माइल बनाम जगत सिंह और अन्य मामलों में लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले में यह कहा गया थाः-"यह देखा जाएगा कि इस धारा के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मजिस्ट्रेट से लिखित याचिका द्वारा संपर्क किया जाना चाहिए था। बस इतना ही आवश्यक है कि उसे शांति के कथित उल्लंघन के बारे में 'सूचित' किया जाए। जानकारी मौखिक रूप से या लिखित

रूप में, डाक द्वारा या किसी अन्य तरीके से प्राप्त की जा सकती है। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि क्या उसकी राय में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और यह उसके स्वयं को संतुष्ट करने के बाद है कि वह उस व्यक्ति को कारण दिखाने के लिए नोटिस जारी करेगा, जिसके द्वारा शांति भंग होने की आशंका है।

(6) संहिता की धारा 107 में निहित मजिस्ट्रेट की सूचना के इस स्रोत का संपूर्ण वर्णन करना कठिन है। उस सूचना की गुणवत्ता और चरित्र के बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिस पर मजिस्ट्रेट को कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब इस धारा में दी गई सूचना के स्रोत को सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है और उसे अधिकार क्षेत्र ग्रहण करके कार्य करना है, तो उसे सूचना प्राप्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए सूचना की शुद्धता की जांच करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट को इस मामले में व्यापक विवेकाधिकार के साथ मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए और इस संबंध में उसकी संतुष्टि के साधनों को सीमित या प्रतिबंधित करना वांछनीय नहीं है। चूंकि शांति की सार्वजनिक शांति बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले प्रशासनिक तंत्र या उसके पास उपलब्ध अन्य स्रोतों का उपयोग करने में सक्षम है।

(7) हरि सिंह के मामले पर, जिसके बाद नछत्तर सिंह के मामले में विचार किया गया था, इस्माइल के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा विचार किया गया था। इस्माइल के मामले के तथ्य यह थे कि इस्माइल ने शांति भंग होने की आशंका का आरोप लगाते हुए गुरदासपुर में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की। याचिका को जांच के लिए पुलिस को भेजा गया था। इस्माइल ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के माध्यम से मजिस्ट्रेट के आदेश का विरोध किया और अंततः लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा निर्णय लिया गया। हरि सिंह के मामले पर विचार करते हुए डिवीजन बेंच ने संहिता के भाग ।V की योजना और प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

"यह देखा जाएगा कि खंड अपने संदर्भ में बहुत व्यापक है। यह किसी विशेष तरीके को निर्धारित नहीं करता है जिसमें मजिस्ट्रेट को धारा के तहत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधारों के बारे में खुद को संतुष्ट करना होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल ने जानबूझकर मामले को खुला छोड़ दिया है और मजिस्ट्रेट को व्यापक विवेकाधिकार दिया है। वह स्वयं, या पुलिस द्वारा, या किसी निजी व्यक्ति के माध्यम से, या किसी अन्य तरीके से, जैसा वह उचित समझता है, जाँच कर सकता है। जाँच सार्वजनिक या निजी हो सकती है; यह खुली अदालत में या कैमरे में आयोजित की जा सकती है। 1923 के संशोधन अधिनियम 18 द्वारा जोड़ी गई धारा 107 के व्यापक वाक्यांश को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करने से पहले खुद को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका स्वयं जांच करना है और वह इस मामले में पुलिस द्वारा स्थानीय जांच की सहायता लेने से वंचित है।

हरि सिंह का मामला लक्ष्मी नारायण बनाम सम्राट में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया और उसका पालन नहीं किया गया। इस्माइल के मामले में हरि सिंह के मामले में लक्ष्मी नारायण के मामले का फैसला करने वाली पीठ की असहमति के कारणों को खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। इस्माइल के मामले में (पृष्ठ 863) हरि सिंह के मामले के एक स्पष्ट संदर्भ पर यह देखा गया था -

"इसलिए हमारा मानना है कि संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष धारा 107 के तहत कार्यवाही करने के लिए सूचना दर्ज की गई है, को प्रारंभिक जांच के लिए मामले को पुलिस को भेजने से मना करता है, और यह कि आपराधिक संशोधन सं. 1936 का 703 और हरि सिंह बनाम जगतर का सिद्धांत या अधिकार पर समर्थन नहीं किया जा सकता है।

(8) संहिता का भाग 4 अपराधों की रोकथाम से संबंधित है। मजिस्ट्रेट सार्वजनिक शांति और शांति बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कुछ प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। मजिस्ट्रेटों की इन प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाइयों के बीच एक रेखा खींची जानी चाहिए जब वे संहिता की धारा 107 के तहत कार्य करते हैं। लक्ष्मी नारायण के मामले में निम्नलिखित विचार व्यक्त किया गया था (पृष्ठ 672) –

पीठ ने कहा, "लेकिन संहिता की धारा 107,108 और 109 या धारा 110 के तहत कार्य करते हुए मजिस्ट्रेट, जब तक कि वह संहिता की धारा 112 के अनुसार लिखित में आदेश दर्ज नहीं करता है, किसी भी व्यक्ति को कारण दिखाने के लिए कहता है, तब तक न्यायिक रूप से कार्य नहीं करता है। उन धाराओं में मजिस्ट्रेट को प्राप्त जानकारी पर कार्रवाई करने या न करने का पूरा विवेकाधिकार दिया गया है। उसके द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसरण में धारा 112 के तहत नोटिस जारी करने का विवेकाधिकार किसी भी शर्त से पूर्ण और अनियंत्रित है।

इन टिप्पणियों के बाद, इस्माइल के मामले में आगे यह अवलोकन किया गया था (पृष्ठ 863)-"यह इंगित किया गया था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उस स्तर पर कार्यवाही कमोबेश प्रशासनिक प्रकृति की थी और यह धारा 112 के तहत एक आदेश पारित करने और विरोधी पक्ष को कारण दिखाने के लिए नोटिस जारी करने के बाद ही था कि उसे क्यों बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही बन जाए। इसलिए, यदि मजिस्ट्रेट धारा 112 के तहत नोटिस जारी करने से पहले पुलिस से परामर्श करना उचित समझता है ताकि यह राय बनाई जा सके कि क्या मामला ऐसा है जिसमें ऐसा नोटिस जारी किया जाना चाहिए या नहीं, तो संहिता में उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़े सम्मान के साथ, हम सोचते हैं कि यह कानून को सही ढंग से निर्धारित करता है।

इसी विचार को तुलसीबाला रखित में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ और एक अन्य बनाम एन. एन. खोसल द्वारा अपनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि नछत्तर सिंह के मामले के निर्णय के समय इस्माइल के मामले को न्याय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। चूंकि नछत्तर सिंह के मामले का फैसला एक खारिज किए गए फैसले के आधार पर किया गया था, इसलिए मैं सम्मान के साथ उस सिद्धांत से सहमत होने में असमर्थ हूं। इस्माइल के मामले में डिवीजन बेंच के फैसले के बाद, जो इस अदालत के लिए बाध्यकारी है, यह माना जाता है कि पुलिस की रिपोर्ट मांगने वाला उप-मंडल मजिस्ट्रेट का आदेश कानूनी और उचित है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिका इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है।

एन के एस

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन

और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा